तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर … अहकाम … हुक्म … में ज…
31-3-2021	वकील वादीगण व लैण्ड होल्डर उपस्थित है। दावे पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 12-4-2021 को पेश हो। इतने पर वादीगण के वकील द्वारा प्रकरण में मौके की रिपोर्ट पटवारी से मंगवाने का प्रा०पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वास्ते निर्णय प्रा०पत्र व वास्ते निर्णय मूल दावा पत्रावली दि० 12-4-2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12-4-2021	वकील वादीगण व लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप० है। वादीगण के वकील की ओर से मूल वाद में फाइनल बहस के बाद प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मंगाने का प्रा०पत्र दावे में फाइनल बहस के बाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि भूमि पर कब्जा प्रमाणित करने की जिम्मेदारी वादीगण पर थी। इसलिए यह प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही वादीगण का वाद वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के अभाव में खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सि० (स०मा०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:30 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible] 2013	3.09.2013	12.4.2021

1. [illegible]
2. [illegible]
3. हरकेश
4. संतोष
5. हरीश

पुत्रान स्व0 श्री किशोरी लाल
जाति योगी
निवासी योगियो का पुरा कॉलेज के पास
उदेई कलां, तहसील गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर ——वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्तीएवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्रीमती मीना शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदेई कलां तहसील गंगापुर सिटी में आराजी साबिक खसरा नम्बर 2422 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा व 2518 रकबा 15 विस्वा का आवंटन वादीगण के पिता किशोरी लाल पुत्र श्री चिरंजी लाल योगी उदेई कलां को सन् 1983 में किया जा चुका है। वादीगण के पिता किशोरी लाल का इन्तकाल दिनांक 7.2.2002 को हो चुका है व उसके वादीगण जायज वारिस है। उक्त भूमि पर वादीगण काबिज रहकर काश्त कर भूमि व फसल से मुश्तहक होते चले आ रहे है। उक्त भूमि के नवीन नम्बर 4702 रकवा 0.11 हैक्टर व रकबा 4703 रकवा 0.46 हैक्टर कायम कर सिवायचक में दर्ज कर दिया है जो वादीगण के पिता की आवंटन भूमि है। उक्त आराजी पर वमौजूदगी पिता वादीगण काबिज रहकर काश्त कर भूमि व फसल से लाभान्वित होते चले आ रहे है। वर्तमान में उक्तभूमि सिवायचक में दर्ज होने के कारण वादीगण के हक हकूक पर अंदेशा पैदा हो गया है। प्रतिवादी के प्रतिनिधी हल्का पटवारी द्वारा वादीगण को दिनांक 31.08.2013 को धमकी दी गयी कि उक्त भूमि से कब्जा हटालो अन्यथा वादीगण को उक्तभूमि से वेदखल करूगां व कानूनी कार्यवाही करूंगा। प्रतिवादी का व उसके प्रतिनिधी का अपनी फैल बेजा हरकतो से उस समय तक बाज आना नामुमकिन है, जब तक कि प्रतिवादी को व उसके प्रतिनिधि को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद नहीं फरमा दिया जावेगा। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 4702 रकबा 0.11 है0 व ख0न0 4703 रकबा 0.46 है0 कुल किता रकबा कुल रकबा 0.57 है0 ग्राम उदेई कलां का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित फरमाया जावे। कागजात सरकार लैण्ड रिकार्ड रेवेन्यु मे बहक वादीगण इन्द्राज खातेदारी की दुरूस्ती की जावे। भूमि सिवायचक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.04.19 16:11:30 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उप जिला कलेक्टर एवं ... सत्यमेव जयते

[illegible] जाकर वर्तमान [illegible] इन्द्राज निरस्त फरमाये जावे। प्रतिवादी को [illegible] निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त [illegible] उपभोग की उपरोक्त वर्णित भूमि मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी न [illegible] स्वयं देवे ना ही अपने किसी प्रतिनिधी से दिलावे। वादीगण को उक्त [illegible] का शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग करने दे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि वादीगण के पिता किशोरीलाल की मृत्यु के पश्चात जायज वारिस संबंधी कोई दस्तावेज दावे के साथ प्रस्तुत नही किये है। वादीगण का भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीगण ने ग्राम उदेईकलां के ख0नं0 4702 रकबा 0.11 है व ख0नं0 4703 रकवा 0.46 है0 को आवंटन की भूमि बताया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल ख0नं0 4702 एवं 4703 साबिक ख0न0 2422 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बने है। वादीगण ने अपने वादपत्र के मद नम्बर 1 में साबिक ख0नं0 2518 रकबा 15 बिस्वा का भी आवंटन होना बताया है। किन्तु वादपत्र में यह स्पष्ट नही किया है कि इसके हाल नंबर कौन–कौन से बने है। इसके अभाव मे वाद वादीगण खारिज होने योग्यं है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादीगण के पिता के नाम सन 1983 में ग्राम उदेईकलां के ख0नं0 2422 रकबा 1 बीघा विस्वा, ख0नं0 2518 रकबा 15 विस्वा आवंटन हुआ है। जिसका तत्समय राजस्व रिकार्ड में अमल का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। वादीगण हाल ख0नं0 4702 रकबा 0.11 है0 व ख0नं0 4703 रकवा 0.46 है0 को अपने नाम अमल करवाना चाहते है। वादीगण ने इन नम्बरों को आवंटन की भूमि बताया है। जो गत खसरा नंबर 2422 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा से बने है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के मद नं0 1 में खसरा नंबर 2518 रकबा 15 बिस्वा का भी आवंटन होना बताया है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल ख0नं0 4702 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 4703 रकबा है 0.46 है0, गत ख0नं0 2422 रकबा 1 वीघा 13 विस्वा से बना है। हाल ख0नं0 4702 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 4703 रकवा 0.46 है0 वर्तमान मे सिवायचक दर्ज है। वादीगण का भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। दावा मियाद बाहर हैं। दावा खारिज योग्य है। अतः दावा खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया ग्राम उदेईकलां में स्थित भूमि साबिक ख0नं0 2422 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा एवं साबिक ख0नं0 25[illegible] 15 विस्वा वादीगण के पिता किशोरीलाल को वर्ष 1983 में [illegible] जिसके नवीन नम्बर 4702 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 4703 रकबा 0.46 है0 कायम किए गए हैं जिन्हें भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवायचक [illegible] गया है जबकि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है।
—वादीगण

2. आया वादीगण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई इस गलती को दुरूस्त करवाकर भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने, इसी अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:30 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करवाने एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकारी हैं। —वादीगण

वादग्रस्त भूमि ख0नं0 4702 एवं 4703 गत ख0न0 2422 से बने हैं सिवायचक दर्ज है तथा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है अतः वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है। —प्रतिवादी

[illegible]॥

वादपत्र के समर्थन मे वादीगण ने नकल खतौनी जमाबंदी भूप्रबन्ध [illegible] संवत 2039 प्रदर्श 1, नकल भूमि आवंटन आदेश प्रदर्श 2, नकल [illegible] पट्टा फीस प्रदर्श 3, नकल कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श 4, नकल मिलान [illegible] प्रदर्श 5, नकल भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.1.83 प्रदर्श 6 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी महेश पीडब्ल्यू 1, बयान वादी हरीश पीडब्ल्यू 2, बयान वादी हरकेश पीडब्ल्यू 3 कराये है।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी प्रतिवादी ने बयान नायब तहसीलदार तलावडा (विभागीय पैरोकार) डीडब्ल्यू 1 कराये है।

बहस विद्वान वकील वादीगण एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी सुनी गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि भूमि खाबिक ख0न0 2422 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व 2518 रकबा 15 बिस्वा ग्राम उदेईकलॉ का आवंटन वादीगण के पिता किशोरीलाल को दिनांक 28.1.1983 को आंवटित की गई थी। जिसका कब्जा भी वादीगण के पिता को संभलाया गया परन्तु भूप्रबन्ध में जो नया रिकार्ड आया उसमे भूमि के जो नये नम्बर कायम किये गये है उनको सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। भूमि के नये नम्बर 4702, 4703 बने है। जिन पर वादीगण का कब्जा है। पूर्व अलॉटमेन्ट के अनुसार वादीगण इन नम्बरो की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावे।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी बहस मे कहा कि वादीग्रस्त भूमि कभी भी वादीगण के पिता के नाम दर्ज नही रही है। मौके पर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता का एवं स्वयं वादीगण का कब्जा काश्त नही रहा है। अपनी बहस मे लैण्ड होल्डर ने बताया कि ग्राम उदेईकलॉ की चारागाह भूमि ख0न0 5330/6374 रकबा 0.80 है0 वेयर हाऊस निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई है। जिसमे वादग्रस्त भूमि चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिए सिवायचक से चारागाह में दर्ज करने के प्रस्ताव वर्ष 2017 में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर को भिजवाये जा चुके है। वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:30 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकीवाईज निर्णय निम्न प्रकार है—

तनकी नम्बर 1: आया ग्राम उदेईकलां में स्थित भूमि साबिक ख0नं0 2422 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं साबिक ख0नं0 2518 रकबा 15 बिस्वा वादीगण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

किशोरीलाल को वर्ष 1983 में आवंटित हुई जिसके नवीन नम्बर रकबा 0.11 है0, ख0नं0 4703 रकबा 0.46 है0 कायम किए गए हैं प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया गया है जबकि भूमि का कब्जा काश्त है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा नकल भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.1.83 प्रदर्श 6 एवं प्रदर्श 2 के अनुसार किशोरीलाल पुत्र चिरंजीलाल जोगी निवासी उदेईकलॉं को ग्राम उदेईकलॉं का साबिक ख0नं0 2422 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं ख0नं0 2423 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा आवंटित किया गया नकल कब्जा रिपोर्ट प्रदर्श 4 के अनुसार इस आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 28.1.1983 को आंवटी किशोरीलाल को संभलाया गया । इसकी पट्टा फीस आवंटी द्वारा जमा करायी गयी। जिसकी रसीद प्रदर्श 3 है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 के अनुसार साबिक ख0नं0 2422 से नवीन ख0नं0 4702 रकबा 0.11 है0 एवं ख0नं0 4703 रकबा 0.46 है0 बना है जो नकल खतौनी जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार सिवायचक दर्ज है। वादीगण ने भूमि ख0नं0 4702 व 4703 पर अपना कब्जा काश्त होना अपना वादपत्र मे अंकित किया है परन्तु इस भूमि पर कब्जा होने संबधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। इनके अभाव मे वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नही माना जा सकता है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रमाणित होने के कारण आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 : आया वादीगण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई इस गलती को दुरूस्त करवाकर भूमि की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने, इसी अनुसार राजसव अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। तनकी नम्बर 1 मे की गई विवेचना के अनुसार वादीगण के पिता को साबिक खसरा नम्बरो मे भूमि आंवटन होना पाया गया है परन्तु साबिक नम्बरो से वर्तमान मे जो खसरा नम्बर कायम हुए है वे सिवायचक दर्ज है एवं नवीन नम्बरों पर कब्जे का कोई प्रमाण वादीगण ने प्रस्तुत नही किया है। कब्जे के अभाव मे वादीगण भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 : आया वादग्रस्त भूमि ख0नं0 4702 एवं 4703 गत ख0नं0 2422 से बने हैं एवं सिवायचक दर्ज है तथा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है अतः वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:30 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। तनकी नम्बर 1 व 2 मे किये गये विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता को

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

[illegible] होना तो पाया जाता है परन्तु इस आवंटन आदेश का राजस्व [illegible] मे अमल होना नही पाया गया है। भूमि पर कब्जा भी वादीगण [illegible] नही कर पाये है। फलस्वरूप यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष मे निर्णित [illegible] है।

तनकी नम्बर 4 : अनुतोष

तनकी नम्बर 1,2,3 मे किये गये विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि [illegible] 4702, 4703 पर वादीगण अपना कब्जा प्रमाणित नही कर पाये है एवं [illegible] के अभाव मे वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज [illegible] के अधिकारी नही है। फलस्वरूप वादीगण का वाद खारिज किये जाने [illegible] है।

आदेश

अतः तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के अभाव मे खारिज किया जाता है। पर्चा [illegible] जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

[illegible] उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
[illegible] अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

[illegible] पुत्रान स्व0 श्री किशोरी लाल
[illegible] जाति योगी
[illegible] निवासी योगियो का पुरा कॉलेज के पास
[illegible] उदेई कलां, तहसील गंगापुर सिटी
[illegible] जिला सवाई माधोपुर ——वादीगण

बनाम

[illegible] होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्तीएवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —143/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्रीमती मीना शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के अभाव मे खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-05-2021 को जारी किया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:11:30 IST
Reason: SelfAttested